

LIST OF AGENTS FOR 1967.

1. Messrs. Etwari Sahu & Sons, Mahendru, Patna—6.
 2. Messrs. Motilal Banarsi Das, Book-sellers, Bankipur, Patna.
 3. Messrs. Choudhary & Sons, Law Book-sellers, Mahendru, Patna-6.
 4. Messrs. Western Law House, Station Road, Patna.
 5. Messrs. Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road, Bhagalpur-2.
 6. Messrs. Pahuja Brothers, Law Book-seller and Publishers Patna-6
 7. Messrs. Laxmi Trading Co., Padri-ki-Haveli, Patna City.
 8. Messrs. Bais Vijaya Press, Jail Road, Arrah.
 9. Messrs. The Amalgamated Press, 41, Hamam Street, P. Box No. 325, Bombay-1 br.
 10. Messrs. Bengal Law House, Book-sellers and Publishers, Chawhatta, Patna.
 11. Messrs. Rajkamal Prakashan(Private) Ltd., Patna-6.
 12. Messrs. Pustak Mahal, Ranchi.
-

- (२) उत्तर स्वीकारात्मक है।
 (३) उत्तर स्वीकारात्मक है।
 (४) राजि का अभाव एवं विद्यालयों द्वारा इसकी अलग से मांग नहीं होने के कारण इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी। सचिव, माध्यमिक शिक्षा पर्षद, विहार को आदेश दिया गया है कि इस संबंध में आवश्यकता यदि हो, तो प्रस्ताव विभाग को भेजें।

शिक्षकों के कटे वेतन की पूर्ति

झ-८६। श्री सिया विहारी शरण—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहायता प्राप्त निम्न माध्यमिक विद्यालयों (एडेड मिडिल स्कूल) को जिनकी स्वीकृति तिथि ३१ मार्च १९५६ तक मिल चुकी है उन्हें सरकार द्वारा वर्द्धित वेतन, अन्तर वेतन, महंगाई भत्ता एवं प्रधानाध्यापक भत्ता मिलता रहा है;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार नवीन वेतन सुधार १ अप्रौल १९६५ से लागू करते समय उपरोक्त विद्यालयों के शिक्षकों को तिथि ३१ मार्च १९५६ से १ अप्रौल १९६५ तक दो गयी वार्षिक वृद्धि को काटकर भुगतान कर रही है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन शिक्षकों को जिनका वेतन कट गया है उसकी पूर्ति किस प्रकार करना चाहती है?

मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) उत्तर इस प्रकार है। १ अप्रौल १९५६ से स्वीकृत नवीन

सुविधाएं ३१ मार्च १९५६ तक स्वीकृत विद्यालयों को दी जाती हैं।

(२) उत्तर इस प्रकार है। आदेश नंस्या २३००, दिनांक ४४ मई १९६६ के अन्तर्गत प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन पुनरेक्षित हुआ है। उपर्युक्त आदेश में इस बात का व्यष्ट उल्लेख है कि ३१ मार्च १९६६ तक प्रस्त्रीकृत विद्यालय के शिक्षकों को ३१ मार्च १९५६ तक प्रवलित वेतनमान एवं पुनरेक्षित वेतनमान में देय रकम के अन्तर की रकम १९५६ से १९६५ तक दो गयी वार्षिक वृद्धि से सरकार द्वारा देय है। ३१ मार्च १९५६ से १ अप्रौल १९६५ तक दो गयी वार्षिक वृद्धि से काट कर वेतन दे देने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) इसका उत्तर प्रश्न खंड (२) के उत्तर में सन्तुष्टि है।

छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान

झ-१७७। श्री सिया विहारी शरण—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री शिवनाथ प्रसाद को बरोली उच्च विद्यालय, सारण से १९६६ की वार्षिक प्रवेशिका परीक्षा में जिला योग्यता छात्रवृत्ति (डिम्डिवट मेरिट रकम-विषय) मिली थी;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद, राजेन्द्र कालेज, छपरा में प्राकविज्ञान में १९६६-६७ में विद्यार्थी थे;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद को छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हाँ, तो क्यों?